रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, मंगलवार नवम्बर 27, 1973/अग्रहायण 6, 1895
No. 285] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 1973/AGRAHAYANA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th November 1973.

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issueance of import licences financed under International Development Association Credit No. 356 IN(IDFI) (SEC—IDA Line of Credit)*

No. 200-ITC(PN)/73.—The terms and conditions governing the issueance of import licences nanced under the IDA Credit No. 356-IN(IDBI)(SFC-IDA Line of Credit) as given in ppendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

Conditions to be stipulated in the Import Licence financed under International Development Association Credit No. 356-IN (IDFI)—(SBC-IDA Line of Credit).

1. These conditions will be applicable to import of goods and services which have been approved by the Capital Goods Committee of the Government of India in respect of applications placed before it by the industrial concerns in the medium and small scale sector. A list of industries which are reserved exclusively for development in the Small Scale sector is given at Annexure I. This list is subject to the changes that may be made by the Govt. of India from timet to time.

2. The import licence can be issued only after a sub-loan under the Credit has been sanctioned by the State Financial Corporation (SFC) of the State in which the appliant unit is situated.

The application for import licence should bear the stamp of the SFC to which the industrial unit has applied for a sub-loan and the number of the application for such sub-loan. A copy of the import licence application should be forwarded by the applicant to the New Delhi Regional Office of the IDBI, Bank of Baroda Building, Post Box No. 231, New Delhi-1.

3. *Identification*

Each import licence will bear the identification mark "IDA IDBI Credit No. 356-IN" followed by the year in which the licence is issued and then followed by a Serial number which is to be given consecutively.

4. The goods and services to be financed under the import licence must be acquired from the member countries of the World Bank or Switzerland. A list of such countries is given in Annexure II.

5. The value of the import licence should be determined with reference to the rate of exchange notified by the Government of India.

6. Orders must be placed on c.i.f. or C & F basis.

If more than one purchase order contract is placed under the import licence, each such purchase order contract should contain an identification mark, for example IDA IDBI Cr. No. 356-IN 3 I(i), IDA IDBI Cr. No. 356-IN/73 I(ii) and so on.

7. The import licence will be issued with an initial validity period of 12 months within which shipments should be completed. The licence must impress on the foreign suppliers to adhere strictly to the promised delivery date.

8.(i) Firm orders (Purchase Order supported by Suppliers' order confirmation or Purchase Contract signed by both parties) must be placed within four months from the date of issue of the import licence.

(ii). If orders are not placed within four months, the licensee should apply to licensing authorities immediately thereafter (*i.e.* in the first week of fifth month) with the adequate justification for suitable extension in the period of ordering. The licensing authorities will extened the validity period for ordering up tp a suitable date, after considering the application on merits, in consultation with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (FB-I Section), if necessary.

(iii). In cases where orders have *not* been placed for the full value of the licence within 4 month, extension in the period of ordering will have to be obtained for the balance value which is not covered by orders placed within the prescribed period of four months.

(iv) It will be in the interest of the licensee himself to ensur that ordering is completed within the prescribed period of 4 months. In cases where this does not become possible for valid reasons, he should, of his own, approach the licensing authorities for suitable extensicn in the period of ordering as per procedures indicated in (ii) & (iii) above.

(v) The authorised dealers in foreign exchange will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirement of placing orders within four months (or any extended period allowed by the licensing authorities) before any letter of credits is opened by them in this behalf.

9. *Payments under the Licence*

(i) Payments for goods and services should be made in accordance with the procedure explained in para 10 below. Contracts concluded with foreign suppliers must specify the mode of payment and also the documentation required to be furnished by the suppliers to the licensec as per procedure described in para 10 below.

(ii) Payments for the cost of goods and services acquired shall be made in the currency of the country from which sueh goods and services are acquired, *i.e.* in the currency of the country of origin of goods, and *not* with reference to the country of shipment or the country in which the supplier is located.

The licensee should, therefore, clearly specify the country/countries from which goods are to be acquired (*i.e.* the country of the origin of the goods) and should not indicate the currency area in vague terms. He should also furnich this information to the concerned SFC for applying for sub-loan under the credit for import of machinery and equipment.

(iii) Payments on account of Indian Agents Commission and freight charges in respect of goods carried by Indian flag vessels are to be made in Indian rupees. Such charges will however form part of the value of import licence and will therefore be charged to the import licence.

(iv) The ocean freight charges for shipment in vessels belonging to non-member countries of the World Bank is inelighible for financing under IDA Credit. Hence the licensee should ensure that shipment is arranged by the supplier only in vessels belonging to member-countries of the World Bank. The licensees should specify this in their contract with the suppliers.

10. *Detailed Payment Procedue*

(i) Payments in foreign currency under the licence will be made through normal banking channel *i.e.* through Authorized Dealers in foreign exchange in India.

(ii) The prescribed documents are detailed in Annexure-IV and should be sent along with a proforma as in Annexure-V by the Licencee's Bank opening the Letter of Credit.

(iii) The licensee should specify in their contract with the suppliers that the documents specified in Annexure-IV are required to be futnished to the Licencee's Bank.

(iv) The Bank in India while opening the Letter of Credit on behalf of the Licensee should also stipulate in the Letter of Ctedit that the said documents are required to be furnished to the Bank at the time the bills are drawn under the letter of Credit.

(v) These documents, after receipt, will be separated and pinned together and forwarded by the Licensee's Bank to the concerned SFC with particulars of the relative import licence duly noted in each of these documents as indicated in Annexure-V. SFC will retain these documents for a minimum period of 3 years in its custody.

(vi) The licensee should note that though the Bank opening the letter of Credit is required to furnish the prescribed documents to the concerned SFC, he is to be treated as equally responsible for ensuring submission of these documents to the concerned SFC. He is therefore advised that he should check promptly with the Bank that the documents have been furnished in time to the concerned SFC. The concerned SFC may approach the licensee for relevant documents if and when necessary.

NOTE.—It should be clearly understood that the concerned SFC invariably receive the documents after the payments have been remitted.

11. All payments under the licence must have to be completed within the validity period of the import licence including 30 days grace period normally permitted under the licence.

12.(i) A statement of orders in the form attached (Annexure-III) should be sent to the concerned SFC indicating the progress of utilisation of licence by way of orders placed letter of Credits opened, actual imports and remittances made and also expected dates of future shipment. The first report should be sent after 4 months from the date of issue of licence or earlier if the ordering is completed and thereafter on the 1st of every month.

(ii) As on the 28th February and 31st August each year, licensees shall also furnish to the Director of Statistics, Office of CCI&E, Udyog Bhavan, New Delhi a half-yearly return (with a copy to the Foreign Exchange Section of the Ministry of Industrial Development) indicating the progress in utilisation of licence by way of orders placed letter of credit opened, actual imports and remittances made and also expected dates of future shipment.

13. *Maintenance o Books and Records*

The importers shall maintain books and records adequate to identify the goods acquired out of the proceeds of the credit to disclose the use thereof in the project and to record the progress of the project. Such records and books shall be maintained for a period of five years after the date of acquisition of the goods. Importer shall enable the authorised representatives of Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs) SFC IDBI IDA to inspect the relevant records and documents related to the project, the goods acquired out of the proceeds of the credit and shall afford all reasonable opportunity and assistance to them for such examination whenever such an occasion arises.

14. *End-use of goods* :

Such goods and sercices acquired against the licence granted under this credit shall be used exclusively in the carrying out of the Investment Project.

15. *Notifying suppliers*

The importer should apprise the supplier of any special provision in the import licences which affect the supliers in carrying out the transctions.

16. *Disputes*

It should be understood that Government of India IDBI SFCs will not undertake any responsibility for disputes that may arise between the importers and suppliers.

17. *Future Instructions*

The importers shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licences and and for meeting all obligations under the Agreement for the IDBI-IDA.

18. *Breach or violation*

Any breach or violation of the conditions set forth above will result in approriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEXURE I

List of industries which are reserved exclusively for development in the Small Scale Sector.

As of February, 1970

1. Absorbent Cotton.
2. Automobile Radiators (except for expansion on merits).
3. Barbed Wire.
4. Beam Scale.
5. Bichromates (except for exports).
6. Bolts and Nuts (except High Tensile and other special type).
7. Conduit Pipes—Metallic.
8. Domestic Electric Appliances and Accessories such as electric iron, roasters, heaters, washing machines etc., other than vacuum cleaners, indstrial washing and dry-cleaning machines etc.
9. Dyes—i) Azo Dyes (Directs and Acids) and (ii) Basic Dyes.
10. (a) Electrical Wiring Accessories;
 (b) Electrical Light fittings (such as chockes, starters, reflectors etc).
11. Expanded Metal.
12. Fireworks.
13. Formulated Perfumery Compounds.
14. Full P.V.C. Footwear (Chappals, Sandals and Shoes), except for export by predominantly export-oriented units.
15. Glass holloware by semi-automatic process.
16. Gun Metal Bushes.
17. Hand Numbering Machines.
18. Hand Stapling Machines.
19. Hurricane Lanterns.
20. Hypodermic Needles.
21. Insectidide Dusters and Sprayers (Manual).
22. Laundry Soap.
23. Leather Footwear (except for expansion of the existing units for exports and new units for exports).
24. Machine Screws (except for Socket Head and Special Types).
25. Machine Shop Vices.
26. Metal Clad Switices. upto 30 Amps.
27. Miniature Bulbs :
 (a) Miniature Vacuum Bulbs.

(b) Torch Bulbs.

(c) Radio Panel Bulbs.

(d) Cycle Dynamo Bulbs; and

(e) Decoration Bulbs.

28. Paints and Varnishes-Dry Distempers, Red Lead, Red Oxide, Aluminium Paints, Bitumen Paints to IS Specification, Wagon Blocks, Graphite Paints, all Paste Paints.

29. Palm Rose Oil

30. Paper Conversion Products.

31. Pine Oil (except for composite schemes).

32. Plaster Boards.

33. Plastic Processed Products :—

(i) Bottle Caps, Buttons, Lamp-shade etc., produced by the compression moulding technique.

(ii) Plastic Articles manufactured from plastic sheets, Rods or Tubes by the fabrication technique excluding the technique of vacuum forming.

(iii) Polyethelene Films (Films with a thickness of less than 0.10 mm) and products from the Film such as Bags etc. (excluding heavy duty Bags and Multi-coloured printed film and Bags).

(iv) Blow-moulded Containers and other similar products manufactured by the blow moulding technique (except for captive use, IVC containers and change over by existing units manufacturing Metal Containers to Plastic Containers.)

(v) Spectacle Frames from Sheets by fabrication technique or by injection moulding.

(vi) Manufacture of Polyester Sheets for Buttons and the processing of the Sheets so produced to manufacture Buttons.

34. Rivets of all types (including Bifurcated).

35. Rolling Shutters.

36. Roofing, Flooring and Glazed Tiles (except plastic and ceramic tile of sizes 4" X 4" and above).

37. Safety Matches.

38. Steel Wool.

39. Student's Microscopes.

40. Surgical Gloves (except plastic).

41. Telescop: Aerials (for Radio Receivers).

42. Thermometers (upto 150°C.)

43. Water Meters.

44. Welded Wire Mesh (except for expansion of existing units.)

45. Wire Brushes and Fibre Brushes.

46. Wire Products-all Wire products such as Wire Nails, Hob Nails, Panel Pins, Horse Shoe Nails.

47. Wood Screws.

48. Cycle tyres ane tubes.

49. Electric horns.

50. Hydraulic jacks below 30 tonnes capacity.

51. Tooth paste.

Additions made to the list in February 1971

52. Pressure Die Castings (upto 4 Kg.)

53. Drums and Barrels (upto 50 litre capacity).

54. Tin Containers-unprinted (other than CITs) Cans upto 18 litre capacity.

55. Flash light torch cases (Plastic).

56. Truck Body Building (Wooden Structure).

57. Battery Cell Tester.

58. Pressure Gauges (upto 50 lbs per sq. inch).

59. Low Tension Insulators.
60. A. A. & A.C.S.R. Conductors (upto and including 19 strands).
61. Electric Transmission Line Hardware (other than those manufactured in malleable castings).
62. Grease Nipples and Grease Guns.
63. Exhaust Mufflers.
64. Zinc Oxide.
65. Auto Leaf Springs.
66. Chaff Cutter Blades.
67. PVC and VIR Wires of Domestic Type.
68. Metal Fittings for garments and leather goods.
69. Weights.
70. Sodium Silicate.
71. Fuel Tank Caps.
72. Fuel Lines.
73. Wiring Harness.
74. Tail Lamp Assembly.
75. Side Lamp Assembly.
76. Stop Lamp Assembly.
77. Spot Lamp Assembly.
78. Horn Buttons.
79. Bulb Horn.
80. Seats for bus and trucks.
81. Ornamental fittings.
82. Rear View Mirrors.
83. Sun Shades.
84. Sun Visor.
85. Luggage Carrier.
86. Tyre Inflators (both hand and foot-operated
87. Ash trays.
88. Hub Caps.
89. Wind Shield Wippers (Arms and Blades Only).
90. Electrical fuse boxes.
91. Electrical fuses.
92. Battery Cables and fittings.
93. Spokes and nipples.
94. Steering Wheels.
95. Armature tester.
96. Battery Terminal Lifters.
97. Condensors and Resistance Testers.
98. Fender Spoons and hammers.
99. Feeler Gauges.
100. Flaring Tools.
101. Gear Flushers.
102. Puller of All types.
103. Ring Expanders.
104. Ring Compressors.
105. Screw Extractors.
106. Spark Plug tester and cleaners.
107. Toe in Gauges.
108. Stund Removers (extractors).
99. Tyre valve pull out tools.

110. Tube Cutters.
111. Flanging Tools.
112. Valve Lifters.
113. Valve Replaciug Resetting Tools.
114. Camber Testing Equipment.
115. Domestic Utensils (other than stainless steel).
116. Steel Measuring Tapes.
117. Cashew Shell Oil.
118. Room Ccolers (Desert Type).
119. Cotton Measuring Tapes.
120. Rubberised Cloth.
121. Household Knitting Machines.
122. Para-Dichlore Benzene Balls.
123. Pottassium Silicate.
124. Calcium Silicate.

ANNEXURE—II

List of member countries of the World Bank

Afghanistan
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgium
Bolivia
Botswana
Brazil
Burma
Burundi
Cameroon
Canada
Central African Republic
Ceylon
Ched
Chile
China, Republic of
Colombia
Congo, People's Republic of
Costa Rica
Cyprus
Dahomey
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt, Arab Republic of
El Salvador
Equatorial Guinea
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia, The
German, Federal Republic of
Ghana
Greece
Geutemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Khmer Republic
Korea
Kuwait
Laos
Lebanon
Leosotho
Liberia
Libyana Arab Republic
Luxembourg

Malagasy Republic
Malawi
Malaysia
Mali
Mauritania
Mauritius
Mexico
Morocc
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Phillippines
Portugal
Romania
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Serra Leode
Singapore
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Swaziland
Sweden
Syriad Arab Republic
Tanzania
Thailand
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
United Kingdom
United States
Upper Volta
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen Arab Republic
Yemen, People's Democratic Republic of
Yugoslavia
Zaire
Zambia

ANNEXURE—III

Proforma Report showing ordering and payment position in respect of each import licence granted against loan by the concerned S.F.C.

1. Import licence No., date and value
2. Ordering Position :
 (a) Total value of orders placed so far (in Rs.).
 (b) Balance value of orders yet to be placed (in Rs.).
 (c) Phasing of balance orders :—Indicate when these would be completed.
3. Payment position.
 (a) Total value of payments made so far (in Rs.).
 (Please confirm after checking with Bank that documents therefor have been submitted to the concerned S.F.C. by them in all cases).
 (b) Balance value of payments yet to be made in Rs.).
 (c) Phasing of balance payments,
 (Please confirm that payments will be completed within time limit).
4. Remarks, if any, particularly regarding any special difficulty experienced in complete utilization of licence.

Sd./- Authorised Representative
on behalf of importer.

ANNEXURE IV

Documents required to be sent by the authorised Bank in India to the concerned S.F.C. in respect of importation of goods by the entrepreneur under each loan sanctioned by the concerned S.F.C.

(a) Supplier's invoice describing the goods or services (Original or legible copy).

(b) Evidence of payment.

1. Receipted invoice or formal receipt of the foreign supplier, or
2. Cancelled bank cheque or draft or photostat copy thereof; or
3. Other satisfactory evidence.

(c) Evidence of shipment, in the form of :

1. A copy of ocean or airway bill of lading (this need not be a singed copy) or
2. A certificate of the supplier or forwarder that the goods have been shipped. This certificate should include the approximate date of shipment, the method of transportation (*i.e.*, air, rail or sea) and the destination of the ship/aircreft, the name and flag of the vessel or aircraft (if known) and amount of ocean/air freight should be given.

NOTE.—If shipment has not been made at the time of the application is submitted or if the application relates to down or progress payment on a contract, evidence of shipment should be furnished as soon as possible after shipment. This evidence of shipment should be accompanied by a copy of the supplier's final invoice in cases where the application relates to a down or progress payment.

ANNEXURE V

Bank's Report of payment Serial No. ———————

(Name of Commercial Bank)

Date of payment ———————

Licence No. ———————

To

———————

(Name of Borrower or Borrower's Representative).

———————

———————

(Address)

We report having paid the sum of ——————— to ——————— under licence No. ———————

(Name of supplier)

established by ———————

(Name and address of buyer).

Our payment commission/amounts to ———————

Payment was affected against delivery of the documedts as specified in/and in accordance with the terms and conditions of the letter of credit mentioned above evidencing of

———————

(General description of the merchandise including the ——————— per S.S. ——————— or R.R. ———————

(Quantity etc.).

rom ——————— to ———————

(Point of shipment) (Destination)

or storage or manufacture of the goods described at ———————

———————

The connected documents have been forwarded to the State Financial Corporation.

———————

(Copy of supplier's invoice is attached)

Very truly yours,

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1973

विषय.—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था क्रेडिट सं० 356–आई एन (आई डी बी आई) (एस एफसी/आई डी ए लाइन आफ क्रेडिट) के अन्तर्गत वितयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को शासित करने वाली शर्तें ।

सं० 200-आई०टी०सी० (पी० एन०)/73.—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था क्रेडिट सं० 356–आई एन (आई डी बी आई) (एस एफ सी-आई डी ए लाइन आफ क्रेडिट) के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को शासित करने वाली जैसी शर्तें प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के लिए परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था क्रेडिट सं० 356–आई एन (आई डी बी आई) (एस एफ सी-आई डी ए लाइन आफ क्रेडिट) के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों में निर्धारित की जाने वाली शर्तें ।

ये शर्तें मध्यम तथा लघु पैमाने क्षेत्र में संबद्ध उद्योगों द्वारा भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों के संबंध में उन के द्वारा अनुमोदित माल के आयात और सेवाओं के लिए लागू होंगी ।लघु पैमाने क्षेत्र में केवल विकास के लिए नियत किए गए उद्योगों की एक सूची अनुबंध-1 में दी गई है । यह सूची परिवर्तनाधीन है और यह परिवर्तन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है ।

2. आयात लाइसेंस तभी जारी किया जा सकता है जबकि उस राज्य के राज्य वित्त निगम (एस एफ सी) द्वारा क्रेडिट के अन्तर्गत एक उप-ऋण की स्वीकृति दे दी गई है जिसमें आवेदक का एकक स्थापित है । "आयात लाइसेंसके" लिए आवेदन पत्र पर, उस राज्य वित्त निगम की मुहर होनी चाहिए, जिस को औद्योगिक एकक ने एक उप-ऋण के लिए आवेदन किया है और ऐसे उप-ऋण के लिए आवेदन पत्र की संख्या दी जानी चाहिए । आवेदक द्वारा आयात लाइसेंस आवेदन पत्र की एक प्रति आई डी बी आई के नई दिल्ली प्रादेशिक कार्यालय, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स सं० 231, नई दिल्ली–1 की प्रेषित की जानी चाहिए ।

3. **पहचान**

प्रत्येक आयात लाइसेंस पर पहचान चिह्न "आई डी ए/आई डी बी आई क्रेडिट सं० 356-आई एन" दिया जाएगा और इस के बाद उस वर्ष का संकेत किया जाएगा जिस में लाइसेंस जारी किया जाता है और फिर इसके बाद दी जाने वाली अनुवर्ती क्रम सं० को दर्शाया जाएगा ।

4. आयात लाइसेंस के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाले माल तथा सेवाएं विश्व बैंक के सदस्य देशों या स्विटजरलैंड से अवश्य ही प्राप्त कर ली जानी चाहिए । ऐसे देशों की एक सूची अनुबंध –2 में दी गई है ।

5. आयात लाइसेंस के मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मुद्रा-दर के संदर्भ में किया जाना चाहिए ।

6. आदेश लागत बीमा भाड़ा अथवा लागत भाड़ा के आधार पर ही दिए जाने चाहिए ।

यदि आयात लाइसेंस के अन्तर्गत एक से अधिक क्रय आदेश/संविदा की जाती है तो प्रत्येक ऐसे क्रय आदेश/संविदा पर एक पहचान चिह्न होना चाहिए, जैसे आई डी ए/आई डी बी आई सी आर सं० 356—आई एन/73/1(1), आई डी ए/आई डी बी आई सी आर सं० 356—आई एन/73/1 (2) और इसी प्रकार ।

7. आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा जिसके अन्दर ही लदान पूर्ण कर दिए जाने चाहिए । लाइसेंसधारी को विदेशी संभरक पर इस बात के लिए अवश्य ही दबाव डालना चाहिए कि वह वायदे के अनुसार की गई संभरण की तिथि का कठोरता से पालन करे ।

8. (i) पक्के आदेश (संभरकों के पुष्टीकरण आदेश द्वारा समर्थित क्रय आदेश अथवा दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित क्रय संविदा) आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीने के भीतर अवश्य ही दे दिए जाने चाहिए ।

(ii) यदि आदेश 4 महीनों के भीतर नही दिए जाते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्पश्चात (अर्थात पाचवे मास के प्रथम सप्ताह मे) लाइसेंस प्राधिकारी को आदेश देने के लिए उपयुक्त अवधि वृद्धि के लिए पर्याप्त औचित्य के साथ आवेदन करे । लाइसेंस प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो वित्तीय कार्य विभाग वित्त मंत्रालय (एफ० बी—1 शाखा) के साथ परामर्श करने पर पात्रता के आधार पर आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद आदेश देने के लिए वैधता अवधि मे वृद्धि की स्वीकृति देगा ।

(iii) ऐसे मामलों में जहां 4 मास के भीतर लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए आदेश नही दिए गए हैं तो आदेश देने के लिए अवधि वृद्धि उस शेष मूल्य के लिए लेनी पड़ेगी जो कि निर्धारित 4 मास के भीतर दिए गए आदेशों के अन्तर्गत नही आता है ।

(iv) यह सुनिश्चय करना लाइसेंसधारी के अपने हित के लिए होगा कि निर्धारित 4 मास की अवधि के भीतर आदेश दे दिए जाते है । ऐसे मामलों मे जहा यह वैध कारणों से सम्भव नही होता है तो उस स्वयं चाहिए कि वह उपर्युक्त कंडिका (ii) तथा (iii) मे संकेतित क्रियाविधि के अनुसार आदेश देने के लिए उचित अवधि वृद्धि के लिए लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क स्थापित करे ।

(V) विदेशी मुद्रा मे प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच पड़ताल करेगा कि लाइसेंसधारी चार मास के भीतर आदेश देने की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है (अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी प्रकार की बढ़ाई गई अवधि) इस मे उनके द्वारा किसी प्रकार का साख-पत्र खोल दिया जाता है उसके पूर्व ही जांच करेंगे ।

9. लाइसेंस के अंतर्गत भुगतान

(i) माल तथा सेवाओं के लिए भुगतान नीचे की कंडिका 10 में उल्लिखित क्रिया विधि के अनुसार किए जाने चाहिए । विदेशी संभरकों के साथ की गई संविदाओं में भुगतान-पद्धति का और नीचे की कंडिका 10 में बताई गई क्रिया विधि के अनुसार

संभरकों द्वारा लाइसेंसधारी को भेजे जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(ii) प्राप्त किए गए माल तथा सेवाओं की कीमत के लिए भुगतान, उस देश की मुद्रा में किए जाएंगे जहां से ऐसे माल तथा सेवाएं प्राप्त की जाती हैं अर्थात् माल के उद्गम देश की मुद्रा में किए जाएंगे और न कि लदान के देश अथवा वह देश जिस में संभरक स्थित है उसके संदर्भ में ।

इसलिए, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह उस देश/देशों का साफ-साफ उल्लेख करे जहां से माल प्राप्त किए जाने हैं (अर्थात् माल के उदगम देश का नाम) और उसे अस्पष्ट रूप से मुद्रा क्षेत्र का संकेत नहीं करना चाहिए । उसे यह जानकारी मशीन और उपकरण के आयात के लिए क्रेडिट के अन्तर्गत उप-ऋण के आवेदन के लिए संबद्ध एस एफ सी को भी भेजनी चाहिए।

(iii) भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के संबंध में भुगतान और भारतीय ध्वज पोतों द्वारा ले जाए गए सामान के संबंध में भाड़ा प्रभार भारतीय रुपए में ही किए जाने हैं। लेकिन, ऐसे प्रभार आयात लाइसेंस के मूल्य के एक भाग होंगे और इस लिए आयात लाइसेंस के लिए जाएंगे ।

(iv) विश्व बैंक के गैर सदस्य देशों के पोतों में लदान के लिए समुद्र भाड़ा प्रभार आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत वित्त दान के लिए पात्र नहीं होता है । अतः लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरक द्वारा लदान की व्यवस्था केवल कि व बैंक के सदस्य देशों के पोतों में ही की जाती है । लाइसेंसधारियों को चाहिए कि वे संभरकों के साथ अपनी संविदा में इस विशेष रूप से उल्लेख करें ।

10. **विस्तृत भुगतान क्रिया विधि**

(i) **लाइसेंस के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में भुगतान, सामान्य बैंक सत्रों के माध्यम से अर्थात भारत में विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से किए जाएंगे ।**

(ii) निर्धारित दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा अनुबंध–4 में दिया गया है और उन्हें साख पत्र खोलने वाले लाइसेंसधारी के बैंक द्वारा अनुबंध–5 में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए ।

(iii) लाइसेंसधारी को संभरक के साथ की गई अपनी संविदा में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए कि अनुबंध–4 में विनिष्टकृत दस्तावेज लाइसेंसधारी बैंक को भेजने आवश्यक हैं ।

(iv) भारत स्थित बैंक को लाइसेंसधारी की ओर से साख-पत्र खोलते समय साख पत्र में यह भी निर्धारित करना चाहिए कि उक्त दस्तावेज बैंक को, साख-पत्र के अन्तर्गत बिल लेते समय प्रस्तुत करने हैं ।

(v) पावती के बाद म दस्तावेज अलग-अलग करके एक साथ नत्थी कर दिए जाएंगे और लाइसेंसधारी के बैंक द्वारा अनुबंध–5 में यथा संकेतित इन दस्तावेजों के प्रत्येक दस्तावेज पर संबद्ध आयात लाइसेंस के ब्यौरों को विधिवत् नोट कर लेने के बाद संबद्ध एस एफ सी को प्रेषित किया जाएगा । एस एफ सी इन दस्तावेजों को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखेगी ।

(vi) लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि यद्यपि साख पत्र खोलने वाले बैंक के लिए संबद्ध एस एफ सी को निर्धारित दस्तावेज भेजने आवश्यक हैं लेकिन उसे संबद्ध एस एफ सी को इन दस्तावेजों के निश्चित प्रस्तुतीकरण के लिए बैंक के बराबर जिम्मेदार ठहराया जाता है । इसलिए, उसे यह परामर्श दिया जाता है कि वह बैंक से शीघ्रातिशीघ्र इस बात की जांचपड़ताल करे कि संबद्ध एस एफ सी को दस्तावेज ठीक समय के भीतर भेज दिए गए हैं । संबद्ध एस एफ सी अगर और जब कभी आवश्यक समझे संबंधित दस्तावेजों के लिए लाइसेंसधारी से संपर्क स्थापित कर सकती है ।

टिप्पणी—यह भली भांति जान लेना चाहिए कि संबद्ध एस एफ सी हमेशा भुगतानों के प्रेषण के बाद दस्तावेज प्राप्त करती है

11. लाइसेंस के अन्तर्गत सभी प्रकार के भुगतान, आयात लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर, जिस में लाइसेंस के अन्तर्गत सामान्य रूप से अनुमेय 30 दिन की रियायती अवधि भी शामिल है, के भीतर पूरे कर दिए जाने चाहिए ।

12. (i) आदेशों का एक विवरण संलग्न प्रपत्र (अनुबंध–3) के रूप में जिस में दिए गए/आदेशों/खोले गए पत्र द्वारा लाइसेंस के उपयोगीकरण की प्रगति, वास्तविक आयातों और किए गए प्रेषणों और आगामी लदानों की अनुमानित तिथि का भी संकेत किया जाए । संबद्ध एस एफ सी को भेजा जाना चाहिए । प्रथम रिपोर्ट लाइसेंस के जारी होने की तारीख के 4 मास के बाद या इस से पूर्व यदि आदेश देने का कार्य पूर्ण हो जाता है, भेजी जानी चाहिए और इस के बाद प्रत्येक मास की पहली तारीख को ।

(ii) लाइसेंसधारी प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी और 31 अगस्त को एक छः माही विवरण जिस में दिए गए आदेशों/खोले गए साख पत्र द्वारा लाइसेंस के उपयोगीकरण की प्रगति, वास्तविक आयातों और किए गए प्रेषणों और आगामी लदानों की अनुमानित तिथि का भी संकेत रहेगा, को भी (औद्योगिक विकास मंत्रालय के विदेशी मुद्रा विनिमय शाखा को एक प्रति प्रेषित करते हुए) सांख्यकी-निदेशक को भेजेगा ।

13. बही-खाता और रिकार्ड रखना

आयातक क्रेडिट की बिक्री में से प्राप्त किए गए माल से संबंधित बही-खाता तथा रिकार्ड को परियोजना में उसके उपयोग और परियोजना की प्रगति के रिकार्ड के बारे में उपयुक्त ज्ञान के लिए रखेंगे । इस प्रकार के बही-खाते रिकार्ड माल की प्राप्ति की तिथि के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे । आयातक परियोजना से संबंधित दस्तावेजों और संबद्ध रिकार्ड, क्रेडिट की क्रय बिक्री में से प्राप्त किए गए माल के निरीक्षण के लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) । एस एफ सी/आई डी बी आई/आई डी ए के प्रतिनिधियों को समर्थ बनाएगा और जब कभी अवसर आता है ऐसे निरीक्षण के लिए उन्हें हर प्रकार के उचित अवसर और सहायता प्रदान करेगा ।

14. माल का अन्तिम उपयोग :

क्रेडिट के अन्तर्गत लाइसेंस के मद्दे प्राप्त किए गए ऐसे माल तथा सेवाओं का उपयोग केवल पूंजी निवेश परियोजना को चलाने में ही किया जाएगा ।

15. **संभरक के लिए अधिसूचना**

आयातक को चाहिए कि वह संभरक को आयात लाइसेंसों में किसी भी ऐसी विशेष व्यवस्था के बारे में अवगत कराए जो व्यापार को चलाने में संभरक पर प्रभाव डालती है ।

16. **झगड़े**

यह भली भांति जान लेना चाहिए कि अगर कभी भी आयातकों और संभरकों के बीच किसी किस्म का झगड़ा खड़ा हो जाए तो भारत सरकार/आईडीबी आई/एस एफ सी एस इस के लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।

17. **भविष्य के लिए अनुबंध**

आयातक आयात लाइसेंसों से संबंधित या उस से उत्पन्न होने वाले किसी या सभी मामलों के बारे में और आई डी बी आई-आई डी ए के लिए समझौते के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों अथवा आदेशों का शीघ्रता के साथ अनुपालन करेंगे ।

18. **उल्लंघन या अतिक्रमण**

उपर्युक्त निर्धारित शर्तों में से किसी का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी ।

अनुबंध 1

लघु पैमाना क्षेत्र में विकास के लिए जो उद्योग अनन्य रूप से आरक्षित हैं उनकी सूची

फरवरी, 1970 को

1. अवशोषक रुई
2. आटोमोबाइल रिडिएटस
 (गुणों के आधार पर विस्तार के लिए से भिन्न)
3. कांटेदार तार
4. तुला
5. बाइस्कोमेट्स
 (निर्यात के लिए से भिन्न)
6. बोल्ट्स और नट्स
 (उच्च तनाव और अन्य विशेष किस्म वालों से भिन्न)
7. जल वाहक नालियां—धात्विक
8. घरेलू विद्युतीय यंत्र और उपसाधक जैसे विद्युतीय लोहा, भर्जित, हीटर्स धुलाई मशीनें आदि, वेक्यूम क्लीनर्स औद्योगिक और ड्राईक्लीनिंग मशीनों आदि से भिन्न ।
9. रंजक—(1) एजो रंजक (प्रत्यक्ष और अम्ल) और (2) बेसिक रंजक
10. (क) विद्युतीय तार-उपसाधक,
 (ख) विद्युतीय लाइट फिटिंग्स (जैसे चौक्स, स्टारटर्स, रिफ्लैक्टर्स आदि)

11. बरफी जाली

12. आतिशबाजी

13. सूत्रबद्ध सुगन्ध यौगिक

14. फुल पी०वी०सी जूते (चप्पल, सेन्डल और जूते), उत्कृष्ट रूप से निर्यात-अभिमुख एककों द्वारा जो निर्यात के लिए हैं उनके अतिरिक्त

15. सेमि-आटोमेटिक प्रक्रिया द्वारा कांच का खोखला माल

16. तोप-धातु अस्तर

17. हैन्ड नम्बरिंग मशीन

18. हैन्ड स्टेप्लिंग मशीन

19. हरिकेन लालटेन

20. हाईपोडर्मिक सूईयां

21. कीटनाशी झाड़न और पिचकारियां (कारचल)

22. लान्ड्री साबुन

23. चमड़े के जूते (निर्यातों के लिए विद्यमान एककों और निर्यातों के लिए नए एककों के विस्तार के लिए जो हैं उनके अतिरिक्त)

24. मशीनों के पेंच (साकिट हैड और विशेष किस्मों के लिए जो हैं उनके अतिरिक्त)

25. मशीन शाप वाइसिज

26. 30 एम्प्स तक के धातु आवरित स्विच

27. लघु बल्ब

(क) लघु शून्यक बल्ब,

(ख) टार्च के बल्ब,

(ग) रेडियो पेनल बल्ब,

(घ) साइकिल डाइनेमों बल्ब

(ङ) सजावट के बल्ब

28. पेन्ट और वार्निश-सूखे डिस्टेम्पर, लाल सीसा, लाल आक्साइड, एल्युमिनियम पेन्ट, बिटुमन पेन्ट आई एस विशिष्टकरण, वैगन ब्लाक्स, ग्रेफाइट पेन्ट, पेस्ट सभी ।

29. पाम रोज़ तेल

30. कागज रुपान्तरण उत्पाद

31. देवदार का तेल (संयुक्त योजनाओं के लिए जो हैं उससे भिन्न)

32. पलस्तर के फलक

33. प्लास्टिक संसाधित उत्पाद–

(1) बोतलों के ढक्कन, बटन, लैम्प-शेड आदि, सम्पीडक गढ़न ढंग से उत्पादित ।

(2) प्लास्टिक की चद्दरों, छड़ों या ट्यूबों से गढ़ाई के तरीके से विनिर्मित प्लास्टिक की वस्तुएं, वक्यूम निर्माण के तरीके से [भिन्न]

(3) पोलिथिलीन फिल्म (0.10 मि०मी० से कम मोटाई की फिल्में) और फिल्मों के उत्पाद जैसे थले आदि (हैवी ड्यूटी थैलों और बहु रंजित छपी हुई फिल्म और थैलों को छोड़कर)

(4) ब्लो मोल्डिक डिब्बे और ब्लो मोल्डिंग क्रियाविधि द्वारा निर्मित अन्य इसी प्रकार के उत्पाद (कैप्टिव प्रयोग, पी बी सी डिब्बों और धातु डिब्बों से प्लास्टिक के विनिर्माण करने वाले वर्तमान एककों द्वारा इस परिवर्तन को छोड़कर)

(5) संरचना क्रियाविधि अथवा इन्जैक्शन मोल्डिंग द्वारा शीट्स के ऐनकों के फ्रेम्स

(6) बटनों के लिए पोलिस्टर शीट्स का निर्माण और बटनों के निर्माण के लिए ऐसी उत्पादित शीट्स का संसाधन

34. सभी प्रकार के कीलक (जिनमें द्विशाखित भी शामिल हैं)

35. रोलिंग शट्स

36. छत की फर्श की और चमकीली टाइलें (4"×4" और इस से अधिक की प्लास्टिक और सिरेमिक टाइलों को छोड़कर)

37. दियासलाई

38. स्टील वूल

39. विद्यार्थी के माइक्रोस्कोप

40. शल्य चिकित्सा दस्ताने (प्लास्टिक वालों को छोड़कर)

41. दूरदर्शक एरियल (रेडियो-संग्राहक के लिए)

42. तापमापी (150° सें 0° तक के)

43. पानी के मीटर्स

44. वेल्डिंग वायर मैश (वर्तमान एककों के प्रसार के लिए छोड़ कर)

45. तार के ब्रुशेस और तन्तु ब्रुशेस

46. तार-उत्पाद सभी प्रकार के तार-उत्पाद जैसे तार-कील, घुंडीदार कील, पैनल कील घोड़े के पांव के कील ।

47. लकड़ी के स्क्रू

48. साइकिल के टायर और ट्यूबें

49. बिजली के हार्न

50. 30 टन की क्षमता के कम के हाइड्रालिक जैक्स

51. दांत साफ करने के पेस्ट

फरवरी 1971 की सूची में किए गए परिवर्तन

52. दाबक ढप्पा-ढलाई (4 कि०ग्रा० तक के)

53. ड्रम और बैरल (50 लिटर धारक क्षमता तक के)

54. टीन के डिब्बे-बिना छपे हुए 18 लिटर की धारक क्षमता तक के (सी० आई० टी० एस से भिन्न)
55. फ्लैश लाइट बैटरियों के खोल (प्लास्टिक के)
56. ट्रक के ढांचे बनाने के समान (लकड़ी की बनावट)
57. बैटरी के सेल के टेस्टर
58. दाबक गेज (50 पौंड प्रति वर्ग इंच तक के)
59. निम्न तनाव वाले पृथक्कारी
60. ए०ए० तथा ए०सी०एस०आर० संवाहक (जिसमें 19 स्टैन्ड्स के तथा उस तक शामिल हैं)
61. इलैक्ट्रिक ट्रान्समिशन लाइन हार्डवेयर (धातवर्म्य ढलाई में निर्माण किए गए से भिन्न);
62. ग्रीस निप्पल और ग्रीस गन
63. एक्सास्ट मफलर्स
64. जिंक आक्साइड
65. आटो लीफ स्प्रिंग
66. कुटी-मशीन के ब्लेड
67. घरेलू किस्म के पी वी सी तथा वी आई आर तार
68. पोशाकों तथा चमड़े के सामान के लिए धातु पिटिंग्स
69. तौल-बट्टे
70. सोडियम सिलिकेट
71. तेल टंकी के ऊपरी ढकनें
72. पयूल लाइन्स
73. वाईरिंग हार्नेस
74. टेल लैम्प असेम्बली
75. साइड लैम्प असेम्बली
76. स्टाप लैम्प असेम्बली
77. स्पाट लैम्प असेम्बली
78. हार्न बटन
79. बल्ब हार्न
80. बस और ट्रकों के लिए सीटें
81. सजावटी फिटिंग्स
82. रियर व्यू शीशे
83. सामबान
84. सन वीजर
85. सामान यान
86. टायर इन्फलेटर्स (हाथ और पैर दोनों से संचालित)

87. राखदानियां
88. हब कैप्स
89 विन्ड शील्ड वाइपर्स (केवल आर्म्स और ब्लेड्स)
90. बिजली के फ्यूज बक्से
91. बिजली के फ्यूजेस
92. बैटरी केबल्स तथा फिटिंग्स
93. स्पोक्स तथा निप्पल्स
94. स्टीरिंग पहिए
95. आर्मेचर टेस्टर
96. बैटरी टर्मिनल लिफ्टर
97. संधानित्र तथा प्रतिरोधक टेस्टर्स
98. पेन्डर्स स्पून्स तथा हथोड़े
99. फीलर गेजेस
100. प्रदीपन औजार
101. गियर पुलर्स
102. सभी प्रकार के पुल्लर
103. वलय विस्तारक
104. वलय दाबक
105. पेच खेंचू
106. स्फुलिंग-प्लग परीक्षक तथा क्लीनर
107. गेसेज में टो
108. स्टन्ड रिमूवर्स (मल निकालने वाला)
109. टायर बाल्व को खींचने वाले औजार
110. ट्यूब काटने वाले
111. फ्लेंजिंग औजार
112. बाल्व लिफ्टर्स
113. बाल्व बदलने वाले और पुनः सेट करने वाले औजार
114 कैम्बर परीक्षक उपकरण
115. धरेलू बरत (जंगविरोधी इस्पात से भिन्न)
116. इस्पात की माप करने वाले टेप्स
117. काजू के छिलके का तेल
118. रूम कुलर्स (डेजर्ट टाइप)
119. कपास को मापने वाले टेप्स

120. रबडीकृत वस्त्र

121 घरेलू कढ़ाई करने वाली मशीनें

122. पारा-डिक्लार बेजीन वाल्स

123. पोटैशियम सिल्लिकेट

124. कैल्सियम सिल्लिकेट

अनुबन्ध—2

विश्वबैंक के सदस्य देशों की सूची

अफगानिस्तान	दलिनिकन गणराज्य
अल्जीरिया	इक्वाडोर
अर्जेन्तीना	अरब गणराज्य का मिश्र
आस्ट्रेलिया	एल साल्वाडोर
आस्ट्रिया	विषवतीय गिनी
बंगलादेश	इथोपिया
बेल्जियम	फिजी
बोलिविया	पिनलैण्ड
बोतस्वाना	फ्रांस
ब्राजील	गेबोन
बर्मा	गैम्बिया
बरूंडी	जर्मनी गणतन्त्र संघ
कमरुन	घाना
कनाडा	यूनान
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	गोटेमाला
श्री लंका	गिनी
चाव	गुमाना
चिली	हैती
चीन गणराज्य	होन्डरस
कोलम्बिया	आइसलैण्ड
कागो जनवादी गणतण्त्र	
कोस्टा-रिका	भारत
साइपरस	इन्डोनेशिया
दहोमी	ईरान
डेनमार्क	ईराक

आयरलैण्ड
इसराइल
इटली
आइवरी कोस्ट
जमैका
जापान
जोर्डन
कीनिया
खमेर गणतन्त्र
कोरिया
कुवैत
लाओस
लेबनान
लियोसोथो
लाइबीरिया
लिबयाना अरब गणतन्त्र
लक्समबर्ग
मालागासी गणतन्त्र
मालावी
माली
मौरिन्टेनिया
मारिशस
मैक्सिको
मोरोक्को
नेपाल
नीदरलैण्ड
न्यूजीलैण्ड
रुनीशिया
टर्की
यूगान्डा
यू० के०
संयुक्त राज्य
अपरवोल्टा
निकारागुआ
नाइजर
नाइजेरिया
नार्वे
ओमन
पाकिस्तान
पनामा
प्रागवे
पेरु
फिलीपीन
पुर्तगाल
रुमानिया
रुआन्वा
सऊदी अरब
सेनेगल
सिएरा लेओन
सिंगापुर
सोमालिया
दक्षिणी अफ्रीका
स्पेन
सूडान
सीरिया अरब गणतन्त्र
तंजानिया
थाईलैण्ड
टोगो
त्रिनिदाद और तोबेगो

युरुग्वे

वेनेजुएला

वियतनाम

यमन अरब गणराज्य

यमन जनवादी लोकतन्त्रीय गणतन्त्र

यूगोस्लाविया

जाइरी

जाम्बिया

अनुबन्ध—3

सम्बद्ध राज्य वित्तीय निगम द्वारा मंजूर ऋण के आधार पर प्रदान किए गए प्रत्येक लाइसेन्स के सम्बन्ध में आदेश और भुगतान की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

1. आयात लाइसेन्स सं०, दिनांक और मुख्य ।

2. आदेश देने की स्थिति :

(क) अब तक दिए गए आदेशों का कुल मूल्य (रुपयों में)

(ख) जो आदेश दिए जाने बाकी हैं, उनका मूल्य (रुपयों में)

(ग) शेष आदेशों की क्रमावस्था—निर्दिष्ट कीजिए कि ये कब पूर्ण हो जायेंगे ।

3. भुगतान—स्थिति

(क) अब तक दिए गए भुगतानों का कुल मूल्य (रुपयों में)

(कृपया बैंक से मालूम करने के बाद इस बात का पुष्टिकरण कीजिए कि उन्होंने सब मामलों में भुगतानों के दस्तावेज सम्बद्ध राज्यवित्तीय निगम को प्रस्तुत कर दिए हैं) ।

(ख) जो भुगतान करने बाकी हैं उन का मूल्य (रुपयों में)

(ग) शेष भुगतानों की क्रमावस्था

(कृपया इस बात का पुष्टिकरण कीजिए कि भुगतान समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जायेंगे)।

4. अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, विशेष रूप से लाइसेन्स के पूर्णरूपेण उपयोग करने में अनुभव की गई किसी विशेष कठिनाई के सम्बन्ध में ।

ह०/-आयातक की ओर से
प्राधिकृत प्रतिनिधि ।

अनुबन्ध–4

सम्बद्ध राज्य वित्तीय निगम द्वारा मंजूर किए गए प्रत्येक ऋण के अन्तर्गत उद्यमकर्ता द्वारा माल के आयात के सम्बन्ध में भारत-स्थित प्राधिकृत बैंक द्वारा सम्बद्ध राज्य वित्तीय निगम को भेजे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज ।

(क) संभरक का बीजक, माल या सेवाओं का विवरण दर्शाते हुए (मूल या स्पष्ट प्रति)

(ख) भुगतान का साक्ष्य

1. वसूली बीजक या विदेशी संभरक की औपचारिक रसीद, अथवा
2. बैंक का रद्द किया हुआ चैक या ड्राफ्ट या उसकी फोटो कापी, अथवा
3. अन्य संतुष्टिप्रद साक्ष्य ।

(ग) पोतलदान का साक्ष्य, निम्नलिखित रूप में :

1. महासागर परिवहन या वायुमार्ग लदान बिल की एक प्रति

(यह प्रति हस्ताक्षरित प्रति होने की आवश्यकता नहीं) अथवा

2 संभरक या भेजने वाले का एक प्रमाणपत्र कि माल पोतवाहित कर दिया गया है । इस प्रमाणपत्र में पोतलदान की अनुमानित तिथि शामिल होनी चाहिए, परिवहन का साधन (अर्थात् वायु रेल या सागर) और पोत / वायुयान का गन्तव्य स्थान, पोत या वायुयान का नाम और ध्वज (यदि ज्ञात हों) और महासागर / वायुमार्ग भाड़े की धन राशि दी जानी चाहिए ।

टिप्पणी.–यदि आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के समय पोतलदान नहीं किया गया है अथवा यदि आवेदन पत्र किसी संविदा पर तत्क्षण भुगतान या प्रगमन भुगतान से सम्बन्धित है तो पोतलदान का साक्ष्य पोतलदान होने के बाद यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए । जिन मामलों में आवेदन पत्र तत्क्षण भुगतान या प्रगमन भुगतान से सम्बन्धित हो उनमें पोतलदान का यह साक्ष्य संभरक के अन्तरिम बीजक की एक प्रति के साथ होना चाहिए ।

अनुबन्ध–5

बैंक की भुगतान की रिपोर्ट क्रम सं० ——————————

——————————

(वाणिज्यक बैंक का नाम)

भुगतान की तिथि ——————

लाइसेन्स सं० ——————

सेवा में,

——————————

(कर्जदार या कर्जदार के प्रतिनिधि का नाम

——————————

——————————

(पता)

हम, लाइसेन्स सं० ———————————————— के अन्तर्गत ———————————————— द्वारा निश्चित

(क्रेता का नाम और पता)

को गई धनराशि ———————————— को ————————————

(संभरक का नाम)

———————————— को चुकाने की सूचना देते हैं। हमारे भुगतान-कमीशन की कुल धनराशि ———————————— आती है।

भुगतान उपर्युक्त साख पत्र में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति के आधार पर / और उसकी शर्तों के अनुसार ———————————————— (मात्रा आदि सहित पण्य माल का सामान्य) ————————————————

(विविरण)

पोत रसीद ———————————— या रेलवे रसीद ———————————— के अनुसार ———————————————— से ————————————

(पोत लदान का स्थान) (गन्तव्य स्थान)

तक या ———————————————— पर गोदाम या वर्णित माल के उत्पादन का साक्ष्य देते हुए प्रभावी किया गया था।

सम्बन्धित दस्तावेज राज्य वित्तीय निगम को भेज दिए गए हैं।

(संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है)

आपका

एम० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973